

झारखण्ड सरकार

परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ०एफ०पी० भवन, एच०ई०सी० परिसर, धुर्वा, राँची।

स्मार

पत्रांक - परि०आ०(CG) - 08/2019.....142...../

राँची, दिनांक - 11.02.2021

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सैयद असगर अली,
राँयल ट्रेवल्स, बस स्टैंड,
पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय : - मार्ग बैकुंठपुर से राँची पर झारखण्ड प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर संख्या - 16/2019 (OFF) के प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में।


प्रसंग : - कार्यालय पत्रांक 710, दि०-06.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि आपके द्वारा मार्ग बैकुंठपुर से राँची पर झारखण्ड प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर संख्या - 16/2019 (OFF) के प्रत्यर्पण हेतु समर्पित किये गए ऑनलाइन आवेदन के साथ आपके पक्ष में छत्तीसगढ़ प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट संख्या सीजी/एसटीए/226/2019 के प्रत्यर्पण की स्वीकृति सम्बन्धी पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में आपके द्वारा अबतक कोई अभिलेख/प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में निदेश दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ प्राधिकार द्वारा आपके परमिट के प्रत्यर्पण सम्बन्धी स्वीकृति पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि झारखण्ड प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर संख्या 16/2019 (OFF) के प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन


संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।